Schedule 1 — Manufacturing Industry की list.

Schedule 2 - scheme को बनाने वाले provisions [EPF]

Schedule 3 — Pension scheme के provisions [EPS]

Schedule 4 — Employee's deposit linked insurance scheme
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना [EDLIS]

Sec-5 — Employee provided fund scheme.
कर्मचारी के बचत के लिए → Purpose

schedule-2
Central gov. → official Gazzatte से Notification → EPF scheme कहलायेगी

scheme → दोनों Employer + Employee

Max 10% — Min 10% या (12%)

- महंगाई भत्ता DA
- +
- मूल वेतन (BW)
- +
- रिटेनिंग भत्ता (R

Note- employee (10%) को बढ़ा सकेगा लेकिन employer उससे ज्यादा के लिए Bounded नहीं होगा।

Central Board of Trustees → देखभाल करेंगे

→ Current में 43 सदस्य

कर्मचारी

2(f) Employee

2e- Employer

Any person wages के लिए directly / Indirectly किसी कार्य से employer से मजदूरी प्राप्त को।

→ Employeed हो

→ मजदूरी के लिए → Factory 2(G) में काम को

→ काम के लिए < Physically / other

→ नियोक्ता < direct → सीधे काम = (मालिक) / Indirect → Indirect → (A) → (B) → (C)

कोई भी वह व्यक्ति जो मजदूरी के लिए किसी स्थापना में या इससे सम्बन्धित कार्य के लिए नियोजित हो

(But part time न हो → Permanent हो)

* Trainee → अगर केवल Training के बाद चला जाये → Exclude
  * Training के बाद Promotion से Join को – Include.

* Apprentice Act-1961 → अगर Registered है तो – Exclude.
  without Registration → Include.

Sweeper, चपरासी, लिपिक → Include.

* ठेके पर काम करने वाला
* घर ले जाकर काम करने वाला → Include.

1. आन्ध्रा University v/s RPFC — University में लगा Press, Factory है अतः Include
2. लाली सेन v/s RPFC — car की servicing, Reapairing → Factory → Include

Sec-10 Protection Against Attachm

सेवा के साथ

सेवा के बाद भी

~~मोतीलाल शर्मा~~ v/s कुटी मियां

रामेश्वर लाल अग्रवाल

Protection
- assigned / समनुदेशित
- charged / भारित

कुर्क किये जाने के विरुद्ध संरक्षण

~~प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्साल्वेन्सी~~ Act 1909

प्रान्तीय दिवालिया Act 1920 से protection

Protection

10(1) ऋण (decree) या दायित्व (आदेश)

कर्मचारी
- धनराशि
- छूट प्राप्त

⇓ (without any charg/assigned.)

10(2) ,,

Nomini → धनराशि

More case laws

⇓

10(3) ,,

Family
- कुटुम्ब पेंशन योजना
- कुटुम्ब पेंशन

10
- किसी भी condition में न तो दूसरे को Assigned न ही charged
- किसी भी Court के decree / order से कुर्क नहीं की जा सकती।

leading case

मोतीलाल शर्मा v/s University of राजस्थान

स्टेनोग्राफर का कमरे का बकाया किराया तो PF से का.

Judgement → Contract अलग • PF अलग

Sec-13

Appropriation

से की

13(1)

Sec-13 INSPECTOR

किसी भी (3) scheme के लिए Inspector का Appointment

Appropriate Government 2(a) के द्वारा Official Gazzatte की Notification से की जा सकेगी।

13(1) → Appropriate Government को power कि Notification से 1 या 1+ को Appoint करे

Powers ① Act/scheme/Insurance scheme के सम्बन्ध में दी गई किसी Information की सत्यता को जाँचना

② Act/scheme/I. scheme के किसी provision का पालन उस Establishment में किया जा रहा है/नहीं
↓
③ लागू होने के बाद check

④ sec-17 में दी गई छूट Employee के द्वारा पूरी की गई है या नहीं।
↳ (छूट देने की powers) A.G को

Powers को use करते हुये duties

① employer/ठेकेदार जिससे sec-8(A) में वसूली है से सूचना लेने की duty. ★

② स्वयं + सहायक → प्रवेश + तलाशी + details की जाँच

③ → ② का परीक्षण

④ photocopy + Crime के condition में seize कर सकता है।

⑤ Act के other works

Important

Crpc 1898 → sec- 98 वारण्ट के अधिकार में तलाशी

same as a police officer

Essential formalities ↓

① तलाशकर्ता की स्वयं तलाशी (No cross witness)

② Minimum 2 local Reputed citizen को witness बनावे

③ list बनायी जायेगी - searching में पायी गयी वस्तु को

④ list पर witness के signature होगे।

⑤ searching place पर मालिक / किसी और को वहाँ present रहने की permission देनी होगी।

⑥ list को witness के signature के बाद मालिक को दे दी जायेगी।

★ कोई punishable offense पर permission से वह Report देने का right होगा कि किसी ने उसके काम में बाधा पहुचाई हो या कोई document जो Inspector मांगे, को देने में fail रहे तो

6 Month / 1000 / Both पायेगा

Q1 - History
Q2 - Social security
Q3 - Commissioner
④ schemes

1000 / Basic / wages
① Factory / Basic / wages
② Partial / total disablement
③ contribution
Employment

Sections 3 → **Liability to payment of Compensation** (36) 14

Introduction:

Liability Liability होगी
- (1) वैयक्तिक क्षति हुई हो
- (2) क्षति दुर्घटना के कारण हुई हो
- (3) दुर्घटना नियोजन से उद्भूत एवं नियोजन के अनुक्रम में हुई हो।
- (4) मृत्यु या निशक्तता हुई हो ← Partial / Total

1. नियोजन से उद्भूत
2. नियोजन के अनुक्रम में
3. doctrine of Direct Nexus
4. doctrine of Added peril

Exceptions:- कब Liability नहीं होगी
(1) Injury से हुई disablement 3 दिनों से ज्यादा न रहा हो
(2) ऐसी Injury जिसमें मृत्यु या पूर्ण निःसक्तता नहीं हुई है, नियोजक निम्न प्रतिवाद (defence) प्रस्तुत कर सकता है-

(1) कर्मचारी पर दुर्घटना के समय, मदिरा या औषधि का प्रभाव था।
(2) कर्मचारी की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्त रूप से बनाये गये किसी नियम या निर्देश की कर्मचारी द्वारा जानबूझकर अवज्ञा की गई थी।
(3) कोई ऐसा रक्षोपाय या अन्य युक्ति जिसके बारे में कर्मचारी जानता था कि वह कर्मचारी का क्षेम सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उपबन्धित की गई है, वह कर्मचारी द्वारा जानबूझकर हटायी गयी थी या उसकी अवहेलना की गई थी।

(4) **उपजीविकाजन्य रोगों के सम्बन्ध में नियोजक का दायित्व** - schedule-3 - उपजीविका जन्य रोग।

schedule 3
- (i) विशिष्ट अवधि नहीं।
- (ii) कम से कम 6 माह की लगातार सेवा
- (iii) केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

added peril → Not apply

RB मुन्दहा & कम्पनी v/s मुसम्मात भगवती
(पेट्रोल टैंक + माचिस की तीली + compensation.)

जयराम मोटर सर्विस v/s पियमल

काम से लौटने के 2 घण्टे बाद चौकीदार की मृत्यु → Liable

चेयरमैन मद्रास पोर्ट v/s कमला

→ भोजन या जलपान हेतु जाते हुये घटित दुर्घटना नियोजन के अनुक्रम में कही जायेगी व कर्मकार प्रतिकर पाने का हकदार होगा।

Burden of Proof: claiment पर - बारशाकरी v/s न्यूमार्चेक मि० लिमिटेड

जस्टिस SHELAT → "यदि compensation के लिए Burden of proof claimant पर हो तो यह अन्याय के समान है।"

नियोजक के परिसर का भावनात्मक प्रसारण

सेन्ट हेलेन्स कोलियरी कम्पनी लि० v/s ह्यूलसटन

Unit-2 ILO & Social security

बृजेन्द्र स्वरुप

सहा॰ आचार्य- डा॰ कमलेश सिंह

सामाजिक सुरक्षा

परिचय:- किसी भी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का यदि हम सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि प्रत्येक नागरिकों को कुछ मूलभूत सुविधायें दी जानी अति आवश्यक होती है जिससे, उनको स्वंय के साथ ही साथ परिवार की सुरक्षा की भावना को बल मिलता है। इन्हीं सुविधाओं व जोखिम से बचाव के लिए किये गये प्रयासों के समूह की संयुक्त अवधारणा को 'सामाजिक सुरक्षा' कहा जाता है।

सामाजिक सुरक्षा का आशय व प्रकृति:- 'सामाजिक सुरक्षा' शब्द की उत्पत्ति 1881 में जर्मनी में मानी जाती है औपचारिक रुप से इसकी शुरुआत 1935 में विलियम बेवरिज के द्वारा की गई जिनके अनुसार "सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है जो व्यक्ति को संकट या कम कमाई के समय होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभान्वित करता है।"

Nature - सामाजिक सुरक्षा की प्रकृति प्रगतिशील विचारधारा को धारण करती है।

विभिन्न संविधियों में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान:

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में -

Main conventions: 1952, 1962, 1964

- ILO अनुच्छेद - 22+25 सामाजिक सुरक्षा में स्वास्थ्य देखभाल व आय की सुरक्षा शामिल है।
- UDHR 1948 - (Art-22+25) सामाजिक सुरक्षा के अधिकार में रोजगार, भोजन, निवास स्वास्थ्य आदि शामिल है। (-Art-25 Standard of Living)
- UN सामाजिक सुरक्षा अभिसमय 1952 - वृद्धावस्था पेंशन, आश्रितों का जीवन यापन, बेरोजगारी, अक्षमता से सुरक्षा ही सामाजिक सुरक्षा है।

(9) ICCPR
(10) ICCESR
(11) CEDAW
→ Also Related to Social security

Scanned with CamScanner

भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में :- भारत के संविधान का आधारभूत ही सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करने पर टिका है। भाग-IV में राज्यों को निर्देश दिये गये हैं कि वे विधायन में इसका अवश्य समावेशन करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एक सामाजिक सुरक्षा योजना की सम्भाव्यता बुनियादी तौर पर सुलभ साधनों की सीमा पर निर्भर करती है यही मुख्य कारण है कि भारतीय संविधान में यह विषय मूल-अधिकारों के भाग-3 में अपना स्थान सुनिश्चित करने में असफल रहा। (अनु०-23,24 में प्रावधान)

अनु० 41- कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार

अनु० 46- समाज के दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा व अर्थ सम्बन्धी हितों में वृद्धि

इसके अतिरिक्त अनु०- 15(3), 39, 42, 43(क) में भी प्रावधान किये गये हैं। [7th sc. 23+24]

Trinity ← Preamble, Fundamental right, DPSP

सामाजिक सुरक्षा के आधारभूत तत्व :- सामाजिक सुरक्षा का निर्माण विभिन्न दशाओं में नागरिकों की सहायता करने वाले तत्वों से मिलकर होता है-

* अयोग्यता - इसमें नागरिक को पेंशन सुविधा दी जाती है।
* शिथिलता - आश्रितों के भरण-पोषण हेतु मुआवजा दिया जाता है।
* रोजगार की सुरक्षा - विधायन के माध्यम से रोजगार की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है।

सामाजिक न्याय :- सामाजिक सुरक्षा का एक सारगर्भित आयाम - किसी भी राष्ट्र के लिए "राष्ट्र की प्रचलित बुराइयों को दूर करते हुये सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति ही सामाजिक सुरक्षा कहलाती है"

सामाजिक सुरक्षा के तत्व:
- लाभों का उचित बंटवारा
- दुर्घटना, अयोग्यता आदि जोखिमों से रक्षा

यह कहा जाता है कि "सामाजिक न्याय की तुला किसी भी ओर झुकी नहीं होती है" तथा यह Haves व Haves Not के अन्तर को खत्म करती है। भारतीय संविधान के अनु०-39 में कहा

गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह विधायनों में सामाजिक न्याय सम्बन्धी कतिपय सिद्धान्तों को लागू करे। उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा व न्याय को बढावा दिया जाना भी उल्लेखनीय कदम है। और काम के अधिकार* को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रयास
- विधायी प्रयास
- योजनागत प्रयास

विधायी प्रयास:- भारत में सामाजिक सुरक्षा का प्रथम प्रयास 1944 में PD आडेरकर के नेतृत्व में किया गया तथा प्रथम सामाजिक सुरक्षा कमीशन गठित किया गया। इसके अलावा कानूनों के माध्यम से भी यह सुनिश्चित किया जाने का प्रयास होता रहा है जिनमें कुछ निम्नलिखित है-

* कर्मचारी प्रतिकर अधि० 1923 - कर्मचारी व आश्रितों को प्रतिकर
* कर्मचारी राज्य बीमा अधि० 1948 - बीमा की सुविधा
* मातृत्व लाभ अधि० 1961 - 26 सप्ताह का अवकाश (18+8)
* भारतीय संविधान में किये गये प्रावधान - मूल अधिकार में व DPSP में।

योजनागत प्रयास:- विधायी प्रयासों के अतिरिक्त सरकार योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान करती है-

योजना	सुरक्षा का मूल तत्व
प्रधानमंत्री जन धन योजना	आर्थिक सुरक्षा
अटल पेंशन योजना	पेंशन या वृद्धावस्था की सुरक्षा
जीवन ज्योति बीमा योजना	बीमा सहायता
मुद्रा योजना	उद्योगों में मदद

Scanned with CamScanner

सामाजिक सुरक्षा से होने वाले लाभ :-

* कर्मचारी को दुर्घटना के समय अतिरिक्त व्यय व आय के साधन न होने से होने वाली दोहरी मार से बचाव।
* सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से कर्मचारी में सन्तुष्टि की भावना जिससे राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि में सहायता।
* मानवीय मूल्यों की स्थापना व मूल अधिकारों की वृद्धि में भी सहायक।

सामाजिक सुरक्षा विकास का पैमाना है।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रासंगिक वाद

वाद	अभिनिर्धारित अधिकार
PUDR v/s भारत संघ	
MC मेहता v/s भारत संघ	पर्यावरण का अधिकार
बन्धुआ मुक्ति मोर्चा v/s भारत संघ	
भोपाल गैस त्रासदी केस	मुआवजा

2018

निष्कर्ष :- सामाजिक सुरक्षा के उपायों की पृष्ठभूमि में निहित धारणा यह है कि "एक ऐसा नागरिक जिसने देश के कल्याण में योगदान दिया है या योगदान की आशा की है उसे अवश्य ही कतिपय कठिनाइयों व विपत्तियों से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।" सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुये भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि ने कहा था कि "सामाजिक सुरक्षा का आशय व्यक्ति को उस जोखिम में सहायता प्रदान करना है जिसमें वह स्वयं तथा उसका परिवार मिलकर भी उससे अपनी रक्षा करने में असमर्थ हों"।

Scanned with CamScanner

Social security Articles

"सामाजिक सुरक्षा का आशय व्यक्ति को उस जोखिम में सहायता प्रदान करना है जिससे वह तथा उसका परिवार मिलकर भी उससे अपनी रक्षा करने में समर्थ न हो।"

में जर्मनी से - King William - मजदूरों को बीमा की सहायता। - पूर्व राष्ट्रपति वी॰वी॰ गिरि

UK - विलियम बैवरिज - Social Insurance Allied Services

"सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है जो व्यक्ति को संकट के समय जब उसकी कमाई कम हो जाये या मृत्यु, विवाह आदि में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करती है।"

ILO - वह सुरक्षा जो समाज, उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है। जोखिम → दुर्घटना, रोग, मातृत्व अयोग्यता, वृद्धावस्था, बेरोजगारी आदि।

Provisions :- ILO - Article - 22 + 25

1952 + 1962 + 1964 - ILO ने SS सम्मेलन भी कराया है।

UDHR 1948 **At-22** - समाज के एक सदस्य के रुप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधि॰ है प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय & अन्तराष्ट्रीय प्रयत्न में आवश्यक आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है।

Article-25 - प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे एवं उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो, इसके अन्तर्गत खाना, कपड़ा मकान, चिकित्सा - सम्बन्धी सुविधायें और आवश्यक सामाजिक सेवायें शामिल है। बुढ़ापा आदि किसी अन्य ऐसी ही परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर, जो उसके काबू से बाहर हो सुरक्षा का अधि॰ है।

ICCPR 1966 **Article-9** - "वर्तमान प्रतिज्ञापत्र के पक्ष देश सामाजिक सुरक्षा सहित सामाजिक बीमा के सभी अधिकारों को मान्यता देते है"

(Article-10 Also provides)

UN सामाजिक सुरक्षा अभिसमय 1952 :- वृद्धावस्था पेंशन, आश्रितों का जीवन बीमा, बेरोजगारी, अक्षमता आदि की सुरक्षा → सामाजिक सुरक्षा है

Indian Constitution :- सामाजिक न्याय → लक्ष्य + प्रचलित बुराईयों को दूर करना। "की तुला किसी ओर झुकी नही है।"

Part-3 - 14, 15, 16, 21 में

Part 4 - 39 41, 42, 43 43 (क) - 42 + 76

समवर्ती

7th Schedule - प्रविष्टि 23 & 24 - social Security & समाज कल्याण के सम्बन्ध में विधि बनाने का अधिकार राज्य एवं संघ दोनों को है

1944 PD आडेरकर - प्रथम सामाजिक सुरक्षा कमेटी

Social security के steps:
- विधायी प्रयास →
  - कर्मचारी प्रतिकर अधि॰ 1923
  - कर्मचारी राज्य बीमा अधि॰ 1948
  - मातृत्व लाभ अधि॰ 1961
  - EPFA 1952
  - कोयला खान भविष्यनिधि अधि॰ 1952
- योजनागत प्रयास

मनरेगा - काम का अधिकार, PJDY - आर्थिक सुरक्षा

APY - वृद्धावस्था पेंशन, ABY - जन-आरोग्य लाभ, इन्द्रधनुष - महिला टीकाकरण

JJBY - Life Insurance की व्यवस्था

900

LBM-672

LL.B. (Hons.) Third Semester Examination, 2019-20

LABOUR LAW

(Social Security Legislation)

Paper : III

(Code : 525)

45

Time : Three hours ***Max. Marks : 60***

Note : All questions are compulsory. Q. No. 2-5 have internal options, word limit for Question No. 1 is 1200 words and for question No. 2-5 600 words each. Extra writing shall be penalised. Marks carried by each question are indicated against is question concerned.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 2-5 में आंतरिक विकल्प हैं। प्रश्न 1 की शब्द सीमा 1200 शब्दों की है तथा प्रश्न 2-5 के उत्तर की शब्द सीमा 600 शब्द है। अतिरिक्त लेखन दंडित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।

1. Write short notes on following :

निम्न पर टिप्पणी लिखिए :

(a) Notional extension of employer premises.

नियोजक के परिसर का भावात्मक विस्तार 3

Scanned with CamScanner

(b) Permanent Disability.
पूर्ण स्थायी निःशक्तता 3

(c) Factory.
कारखाना 4

(d) Inspector under EPF & M. P. Act, 1952.
कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत निरीक्षक 4

2. Discuss the conditions of labour from the ancient society to the age of industrialisation.

प्राचीन काल से लेकर औद्योगिक युग तक श्रमिकों की स्थिति की विवेचना कीजिए।

OR

अथवा

Discuss the origin of labour laws beginning with the era of industrialization.

श्रमिक कानूनों का उद्भव औद्योगिक युग में हुआ विवेचना कीजिए। 7

3. Explain the meaning & scope of the expression social security discuss the development of law relating thereto in India.

पद सामाजिक सुरक्षा के अर्थ एवं विस्तार को समझाइये तथा भारत में इससे सम्बन्धित कानून के विकास की विवेचना कीजिए। 8

OR/अथवा

'ILO has played an important role in promoting the enactment of labour laws in India.' Discuss.
अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का भारत में श्रमिक कानूनों के अधिनियमन में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। विवेचना कीजिए।

4. Explain the meaning and extent of expression "accident arising out of and in the course of employment" with the help of decided cases.

निर्णीत वादों की सहायता से पद नियोजन से उद्भूत एवं नियोजन के अनुक्रम में घटित दुर्घटना के अर्थ एवं विस्तार को समझाइये।

OR

अथवा

Discuss facts and circumstances under which employer has been, exempted from the liability to pay compensation to the employees under Employees compensation Act, 1923.

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। जिनमें नियोजक को कर्मचारियों को प्रतिकर देने के दायित्व से मुक्त किया गया है। 7

5. Discuss the category of establishment to which employess PF and MP Act, 1952 applies. Can an establishment be exempted from application of the provision of Act ?

उन संस्थापनों की विवेचना कीजिए जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 लागू होता है। क्या इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किये जाने से किसी संस्थान को छूट दी जा सकती है ?

Scanned with CamScanner

OR

अथवा

Explain the various schemes under employees PF & MP Act, 1952. To what often this Act has provided social security ?

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को समझाइए। कहाँ तक इस अधिनियम के द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। विवेचना कीजिए।

9

Scanned with CamScanner